

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— 569 /11-सी-FP/UP/Others/49462/2020, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर ०५, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:— जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी०एस०टी०पी० के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की ०.९०२४ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/49462/2020)

सन्दर्भ:— भारत सरकार का पत्र—८बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ०सी०/१५३दिनांक ३१.०५.२०२३

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक—९९०/१४-१, दि० ०१.०९.२०२३ द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।



संख्या— 569 /11-सी FP/UP/Others/49462/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- १— वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- २— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा।
- ३— परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र०, जल निगम ग्रामीण आगरा।



(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।



संख्या— 569 /11-सी FP/UP/Others/49462/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।



कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक ११० / 14-1(49462/2020), आगरा. दिनांक. ७/ सितम्बर, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी० एस० टी० पी० के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लॉक, बावरपुर वन ब्लॉक, मऊ वन ब्लॉक एवं ताऊ वन ब्लॉक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक-8वी०/यू०पी०/9/94/2023/एफ०सी०/153 दि० 31.05.23 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक-3800/11-सी दिनांक 01.06.2023.


महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर विन्दुवार आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित पोर्टल पर अपलोड कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 859/14-1 दिनांक 30.08.2023 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है. के आधार पर आख्या निम्नवत् है :-

S.No	Observation	Reply
1.	As per kml file and area proposed for diversion is 0.0507 ha. which is not matching with the proposal area. kml file of the area proposed for diversion needs to be rectified. The complete kml file of the area proposed for diversion need to be uploaded on PARIVESH portal.	के०एम०एल० फाइल में प्रस्तावित क्षेत्र संशोधित कर दिया गया है।
2.	CA needs to be proposed in equivalent non-forest land. Accordingly, CA sheme, kml file and related documents need to be uploaded on PARIVESH portal.	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का संशोधित के०एम०एल० फाइल, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन तथा जीयो रिफ्रेशमेप संलग्न है।

विषयक प्रकरण में अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।


संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(वी०के० मिश्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक ११० / _____ रागदिनांकित।

1-प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्रांक 859/14-1 दिनांक 30.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(वी०के० मिश्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।